रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228120
SG-DL-E-05072021-228120

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 69
No. 180]	DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943	[N. C. T. D. No. 69

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

सं. फा. 6(8)/2014–15/डीआईपी/स्था./4145.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा .27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 27 जनवरी, 1971 की अधिसूचना सं. फा. 2(50)/70–सेवाएं–II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाए जाने के लिए की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **'प्रचार सहायक'** के पद हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को सूचना एवं प्रचार निदेशालय, प्रचार सहायक भर्ती नियमावली 2021 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ संबद्ध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता इत्यादि** :–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :–जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	प्रचार सहायक
2.	पदों की संख्या	:	1 *(एक) (2021) *(इसमें परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर)
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर–5 (29200–92300/–रुपए)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा	:	18 से 27 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये चालीस (40) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय) **नोट**:–आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	**अनिवार्य** :– 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अथवा हिन्दी एक विषय के रूप में स्नातक की उपाधि के साथ पत्रकारिता एवं जनसंचार/विज्ञापन तथा जनसंपर्क में मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **अथवा** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जन संचार में तीन वर्ष की स्नातक उपाधि। 2. जनसंपर्क अथवा बाह्य प्रचार या विज्ञापन ईकाई के क्षेत्र में किसी ख्याति प्राप्त प्रचार संगठन में दो वर्ष का कार्य–अनुभव। **वांछनीय** : 1. बैठकों, सम्मेलनों, सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के

			अनुभव के साथ रचनात्मक लेखन/स्लोगन लेखन का ज्ञान हो। 2. कम्प्यूटर परिचालन में कुशलता तथा एमएस ऑफिस, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर कार्य करने की योग्यता हो।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेश द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा **नोट** :– पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी । (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी ; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500–81100/–रुपये) में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित, और (ख) कॉलम 7 के अंतर्गन्त सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	**'ग' वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति** : (1) प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा) – अध्यक्ष (2) विभागाध्यक्ष (डीआईपी) – सदस्य (3) उप सचिव (वित्त) – सदस्य (**नोट**: विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थाईकरण समिति के अधिसूचित अध्यक्ष के विभागीय पदोन्नति समित के अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थाईकरण समिति का वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा)
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सूचना एवं प्रचार)

DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY

NOTIFICATION

Delhi, the 5th July, 2021

No.6(8)/2014-15/DIP/Estt/4145- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.F.27/59-HIM(i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No.F.2 (50)/70-Services-II dated-27th January, 1971 for the post of Publicity Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules for the post of **'Publicity Assistant'** in the Directorate of Information and Publicity, Government of National Capital Territory, Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement:—**(i) These rules may be called the Directorate of Information and Publicity, Publicity Assistant Recruitment Rules, 2021.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay level in Pay Matrix:—**The number of said post, its classification and level in the Pay Matrix shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.

3. **Method of recruitment, age limit qualification, etc.:—**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications:—**No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:—**Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:—**Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post.	:	Publicity Assistant.
2.	Number of Posts.	:	01* (2021). *(Subject to variation dependent on workload).
3.	Classification.	:	Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.
4.	Level in the Pay Matrix.	:	Level-5 (Rs.29200-92300).
5.	Whether Selection or Non-Selection post.	:	Not applicable.
6.	Age-limit for direct recruits.	:	18 to 27 years (Relaxable for government servants up to the age of Forty (40) years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

			Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	**Essential:** 1. Bachelor's Degree of a recognised university with English or Hindi as one of the subject alongwith one year Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication/ Advertising and Public Relations of a recognised institute/university. **OR** Three year Graduation Degree in Journalism and Mass Communication of a recognised university. 2. Two years experience of working in a publicity organisation of repute in the field of public relation or outdoor publicity or advertisement unit. **Desirable:** 1. Experience in organising meetings, conferences, cultural activities alongwith Knowledge of creative writing/ slogans. 2. Proficiency in computer operation and ability to work on MS Office, Internet, Social Media.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	:	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	:	Two years.
10.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Government/Union Territories/Public Sector Undertakings. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre/department; or (ii) with five years' regular service in Level-4 (Rs.25500-

			81100) in Pay Matrix; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits, recruits under column 7.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	:	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	:	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:** 1. Pr. Secretary/Secretary (Power) - Chairperson 2. Head of the Department (DIP) - Member 3. Dy. Secretary (Finance) - Member (**Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.)
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (I&P)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.05 22:15:37 +05'30'